



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2245]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939

No. 2245]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/SRAVANA 19, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2561(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की है, को लोकहित में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/31/2015-सीएस]

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2017

S.O. 2561(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the Regional Rural Banks in respect of which the Central Government has issued a notification under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), from the application of provisions of sections 5 and 6 of the Competition Act, 2002 for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 5/31/2015-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.